




# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी राजकुमारी विपक्षी जैवन्दास  
 किस्म मुकदमा 88, 188 पर 188 पत्रावली संख्या 81/20 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>29/1/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा. कामनी नं. 1/पत्रावली नं. 3,4</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतः अतः 05 की तारीख पर</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>9/4/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      SDO मावली</p>	
	<p>9/4/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा. कामनी नं. 1/पत्रावली नं. 3,4</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतः 05 की तारीख पर</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>20/5/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      (SDO) मावली</p>	
	<p>20/5/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा. कामनी नं. 1/पत्रावली नं. 3,4</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतः 05 की तारीख पर</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>17/5/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      (SDO) मावली</p>	



17/06/2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय  
वादीगण (अनुपस्थित) अधिवक्ता वादीगण मय  
वादीगण को बार-बार आगे दिलवाई गई।  
समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता  
वादीगण मय वादीगण को पर्याप्त अवसर  
दिये जाने पर भी अब तक वारिस कायमी  
नहीं करवाई गई। न्यायालय द्वारा बार-बार  
वारिस कायमी हेतु आदेशित करना एवं अधिवक्ता  
वादीगण मय वादीगण द्वारा टालमटोल करने से  
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादीगण  
एवं स्वयं वादीगण अपने वाद के प्रति सजग  
नहीं हैं। वारिस कायमी नहीं करवा वादीगण मात्र  
प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। स्वयं  
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता आज भी अनुपस्थित  
हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण  
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम राजरी  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम ही।

निर्णय चुले न्यायालय चुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) पंचसही